बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः प्र0 7/नियम–8/2014 12744(S) पटना, दिनांक 29-12-14

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
प्रधान सचिव,

सेवा में,

मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, दरभंगा एट पटना।
मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः OPRMC (Long term Output & Performance based Road Maintenance Contract) पद्धति से सम्पादित किये जा रहे कार्यों को ससमय पूरा किये जाने के उद्देश्य से रेलरैक की अनुपलब्धता की स्थिति में न्यूनतम दूरी के सड़क मार्ग से स्टोन एग्रीगेट के परिवहन की अनुमति के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–प्र08/विविध–04–10/05(अंश क)–6520(एस) दिनांक 06.06.2011 तथा प्र06/नियम–03–10/06–5390(ई0) दिनांक 27.08.2013

महाशय,

विभिन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा यह सूचना दी जाती रही है कि खदान/क्रशर स्थल से रेल मार्ग द्वारा स्टोन एग्रीगेट के ढुलाई हेतु विहित अनलोडिंग प्वाईन्ट के लिए रेल रैक की अनुपलब्धता की स्थिति में स्टोन एग्रीगेट का कार्यस्थल तक ढुलाई ससमय न होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित हो रही है।

2. उल्लेखनीय है कि OPRMC पद्धति में सम्पादित होने वाले कार्यों को ससमय पूरा करना अनिवार्य होता है, ताकि यथालक्षित Road User को अवाध रूप से अच्छी सड़क की सुविधा प्राप्त होता रहे।

3. प्रासंगिक पत्रों के द्वारा पूर्व में भी कई निदेश दिए गए हैं, जिसमें अन्य एकरारनामा प्रारूपों के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था निरूपित है।

कृ0पृ0उ0

4. दिनांक 22.10.2014 तथा 23.10.2014 को प्रमंडल (कमिश्नरी) स्तर पर क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं छपरा में सम्पन्न बैठक में हुए विमर्श में प्राप्त निदेश, दिनांक 26.11.2014 को अधीक्षण अभियंताओं की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा, प्रासंगिक पत्रों द्वारा पूर्व अनुमोदित व्यवस्था तथा वर्त्तमान में कार्यकारी सीजन के मददेनजर OPRMC कार्यों हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित व्यवस्था निरूपित की जाती है :–

5. जून 2015 तक के लिए लक्षित Periodic Maintenance (सतह नवीकरण) एवं Minor Improvement के अधीन कार्यो के लिए आवश्यक शेष स्टोन एग्रीगेट के रेल मार्ग से परिवहन हेतु Unloading Point तक रेलरैक की अनुपलब्धता की स्थिति में शेष आवश्यक मात्रा में स्टोन एग्रीगेट की ढुलाई न्यूनतम दूरी के सुलभ सड़क मार्ग से किया जा सकता है। सम्बन्धित संवेदक रेलरैक की अनुपलब्धता, स्टोन एग्रीगेट की आवश्यक मात्रा, इत्यादि से सम्बन्धित सभी सूचना अंकित करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेंगे। जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ कार्यपालक अभियंता प्रस्ताव को अधीक्षण अभियंता को भेजेंगे तथा अधीक्षण अभियंता जाँचोपरान्त अनुमोदित क्वेरी चार्ट के अनुरूप इसे अनुमोदित करेंगे। संवेदक से आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अनुमति देने की पूरी प्रक्रिया निश्चित रूप से सम्पन्न कर दिया जायेगा।

6. उक्त कंडिका 5 में निरूपित व्यवस्था के अधीन निम्न कार्रवाई भी तत्परता से सुनिश्चित किया जायेगा :–

6.1 अधीक्षण अभियंता दावे की स्वीकृति के पूर्व पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि रेलरैक की अनुपलब्धता की स्थिति में न्यूनतम दूरी के सड़क मार्ग से परिवहन किए गए मात्रा के लिए ही दावा की स्वीकृति की अनुमति दी जा रही है।

6.2 अतिरिक्त लीड के लिए ढुलाई का भुगतान दावा के माध्यम से किया जायेगा।

6.3 भुगतान पूर्व चालान, M एवं N फार्म का सत्यापन कर लिया जाना आवश्यक होगा।

6.4 उक्त दावे की स्वीकृति के कारण सम्भावित व्यय की राशि में अनुज्ञेय सीमा में बढ़ोत्तरी की सम्भावना हो तो पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसका प्रावधान कर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7. विभागीय पत्रांक–5114(एस) दिनांक 06.11.2014 द्वारा Unforeseen Condition के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करने के मार्ग निदेश निर्गत किये गए हैं। ऐसे कार्य जो जून 2015 के पूर्व किया जाना है, के लिए भी आवश्यकतानुसार उक्त कंडिका 5 एवं 6 में विहित व्यवस्था लागू की जा सकती है।

8. अगले वित्तीय वर्षों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर सामग्री का कुशल प्रबंधन किया जाए तथा ऐसे अनलोडिंग प्वाईन्ट के बारे में भी विचार किया जाए, जहाँ के लिए रेलरैक अपेक्षाकृत कम समय में उपलब्ध हो जाने का पूर्व अनुभव अथवा सम्भावना है। इस प्रक्रिया में यदि सड़क मार्ग की दूरी पूर्व अनुमोदित दूरी से अधिक अथवा कम हो जाता है, तो दर विश्लेषण को पूरी तरह समीक्षा कर तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)

ज्ञापांकः प्र0 7/नियम–8/2014 12744 (S) पटना, दिनांक 29-12-14

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)

ज्ञापांकः प्र0 7/नियम–8/2014 12744 (S) पटना, दिनांक 29-12-14

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)

ज्ञापांकः प्र0 7/नियम–8/2014 12744 (S) पटना, दिनांक 29-12-14

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, इस पत्र को सभी पदाधिकारियों को ई–मेल से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेंगे।

(अरूण कुमार सिंह)

29/12/14